...ण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

...पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
34/021	136 L.R Act	चोवलखेड़ी	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
रउफ	बनाम	राज0 सरकार

2021/164

वकील :- राजेश भार्गव एडवो. **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
22/9/21	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्व अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 9/11/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी छबड़ा, जिला बारां (राज0)	
	प्रशासन गाँवों के संग अभियान–2021	
11/10/21	प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 कैम्प बारई पर आज पेश हुई। प्रकरण में तहसीलदार छबड़ा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबड़ा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम चोवलखेड़ी तह0 छबड़ा के खाता सं0 39 के ख.न. 24, 25, व 21/1 कुल किता 3 रकबा 4.16 बीघा भूमि में रईस, शहजाद रउफ आ0 नन्नू कौ0 का नाम दर्ज है तथा ख.न. 22, 23 व 26 किता 3 रकबा 5.07 बीघा भूमि में रईस, भूरिया शहजाद पुत्र नन्नू कौ0 का नाम दर्ज है मौके ओन कैम्प में ग्राम वासियों से जानकारी करने पर भूरिया व रउफ दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना बताया है। अतः वर्तमान खाता संख्या 39 में भूरिया के स्थान पर रउफ दर्ज किया जाना उचित है। मुताबिक तहसीलदार छबड़ा की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान खाता संख्या ग्राम चोवलखेड़ी खाता सं0 39 में भूरिया के स्थान पर रउफ दर्ज करने की अनुशंषा की गई है। अतः भूरिया के स्थान पर रउफ दर्ज करने हेतु तहसीलदार छबड़ा को आदेश दिये जाते है। आदेश प्रपत्र से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी छबड़ा, जिला बारां (राज0)	

राजस्थान सरकार

"प्रशासन गाँव के संग अभियान–2021"

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ......छबड़ा जिला – बारां......

–: आदेश :–

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ....हल्का बारई.... व भू.अ.नि. ....[illegible].... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ~~बारां~~ छबड़ा/नायब तहसीलदार बारां की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ....चोवलखेड़ी.... तहसील ~~बारां~~ छबड़ा जिला बारां की जमाबन्दी सम्वत् ....2076-2079.... में खाता संख्या ....39.... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :–

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	चोवलखेड़ी	39	भूरिया	रऊफ उर्फ भूरिया

(मनीषा तिवारी)
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज.)
उपखण्ड अधिकारी

क्रमांक/रीडर/लोक अदालत/2021/.....कैम्प बारई

दिनांक ....11/10/21....

प्रतिलिपी :–

1. तहसीलदार ....छबड़ा.... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ....रऊफ उर्फ भूरिया R/o चोवलखेड़ी.... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी
....